राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ 1610 सीसी/स्वा.का.पु./2018/2036 दिनांक : 24/7/18

आदेश

राज्य सरकार के चयनित वेतन श्रृंखला आदेश क्रमांक एफ.20(1)वित्त/ग्रुप–2/92 दिनांक 25.1.92 एवं क्रमांकःएफ.20(1)वित्त/ग्रुप–2/92 पार्ट–I दिनांक 21.12.93 की पालना में निम्नलिखित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष को उनके प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पूर्व में 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला उनके पद के पदोन्नति पद के वेतनमान के अनुरूप स्वीकृत की गई थी।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में निम्नलिखित रिट में पारित निर्णय के द्वारा याचिकाकर्ता को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900/5500–9000 दिये जाने के निर्देश प्रदान किये है :–

क्र.सं.	याचिकाकर्ता	रिट सं.	निर्णय दिनांक
1.	पूरण चन्द	6029/18	16.04.18

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.18 के विरूद्ध आगे अपील दायर नही करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय के द्वारा इन्हे 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतन श्रृंखला 1200–2050 एवं 1640–2900/5500–9000 स्वीकृत करने के निर्देश विभाग को दिये जाने के फलस्वरूप याचिकाकर्ता को विभिन्न आदेशो के द्वारा पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखलाओं को एतद् द्वारा अतिक्रमित करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में वित्त विभाग की सहमति उपरांत याचिकर्ता की नियमित नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः 1200–2050 एवं 1640–2900/5500–9000 चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जाती है याचिकाकर्ता को दिनांक 1.1.2006 से नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान की स्वीकृति में जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के वरिष्ठतम कार्मिक यह सुनिश्चित करले कि याचिकाकर्ताओं को चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि की गणना के लिये वर्ष 1982 में आमेलित/समायोजित हुये कर्मचारियों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से एवं वर्ष 1992 में नगरीय मलेरिया स्कीम से आमेलित/समायोजित/रिडेजिग्नेट हुये कर्मचारियों को आमेलन होने की तिथि से नियमित नियुक्ति दिनांक मानते हुये चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानों के अनुसार एवं वेतन स्थिरिकरण तथा राशि की गणना भी सही की गई है। यदि कार्मिक उच्च वेतनमान में समायोजित किया गया है तो अवधि की गणना कार्मिक के समायोजित होने की दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों के अनुसार की जावे तथा यह भी सुनिश्चित करले कि संबंधित कार्मिक को चयनित वेतनमान का पूर्व में भुगतान नही किया गया है।

यह आदेश राज्य सरकार/वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101803469 दिनांक 21.06.18 एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग की आई.डी. संख्या 1326 दिनांक 22.06.18 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये गये है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.1610 सीसी/स्वा.का.पु./2018/2036 दिनांक : 24/7/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 101803469 दिनांक 21.06.18 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 1326 दिनांक 22.06.18 के क्रम में।
4. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को वित्त विभाग के आदेश अनुसार प्रकरण में चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि, वेतन स्थिरीकरण व राशि की गणना वित्त विभाग के नियमों/प्रावधानों के अनुसार की गई है सुनिश्चित करें।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन कोटा।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी कोटा को प्रेषित कर निर्देश है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी के प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय ड्यू–ड्रान एवं संशोधित एलपीसी की प्रति कार्मिक एव अधिकारी केस एवं निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
8. संबंधित याचिकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

D:\Sandeep Tailor\rajsingh\Order from 28-11-17.doc